प्रेस-विज्ञप्ति 31.03.2021

दिनाँक 31.03.2021 को मर्चेंट्स चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश और केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिकारियों के संयुक्त तत्वाधान में एक बैठक सी.जी.एस.टी. कमिश्नर ऑडिट के कार्यालय में आहूत की गयी।

आयोजित बैठक में मर्चेंट्स चेम्बर से श्री मुकुल टंडन, श्री अतुल कनोडिया, श्री आकाश गोयनका, श्री संतोष गुप्ता, व श्री महेंद्र नाथ मोदी ने भाग लिया। उक्त बैठक में केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर विभाग की ओर से श्री सोमेश तिवारी, आयुक्त, श्री आशीष बाजपेयी, सहायक आयुक्त, श्री अरुण सिंह, अधीक्षक व श्री पंकज अवस्थी, अधीक्षक उपस्थित थे।

उक्त बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर सहमति बनी, जो इस प्रकार से है:

1. छोटी-छोटी तकनीकी त्रुटियाँ जिनका राजस्व पर कोइ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उन पर प्रमुख आपत्तियां न बनाई जाएँ।
2. ITC, यदि गलत रूप में ले ली गयी है किन्तु उनका उपयोग नहीं किया गया है, उसके बारे मैं अधिनियम / नियम के सम्यक कार्यवाही करें।
3. यदि कर प्रदाता स्वेच्छा से किसी गलती को निर्धारित समय सीमा में स्वमेव सही कर लिया है तो इन्हें गंभीर आपत्तियों में शामिल न करें।
4. यथासंभव आडिट ग्रुप लघु व्यापारी / निर्धारिति के ऑडिट के दौरान उन्हें यथासंभव वस्तु एवं सेवाकर की क़ानूनी प्रक्रियांओं के बारे में जागरूक करें।
5. प्रतिनिधि मंडल ने यह भी आश्वासन दिया कि वे ट्रेड को जागरूक करेंगे कि वे ऑडिट हेतु अपना सहयोग प्रदान करें और आवश्यक दस्तावेज ऑडिट ग्रुप को उपलब्ध कराएं।
6. ये सुझाव भी दिया गया कि जो कागजात जी.एस.टी. पोर्टल पर उपलब्ध है (जैसे कि जी.एस.टी. सम्बन्धी रिटर्न इत्यादि) उन्हें निर्धारिती से न माँगा जाए।

धन्यवाद